न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्री श्योराम वर्मा आर.ए.एस.

अपील संख्याः– ०। दायरा दिनांकः– 14-1-2021

भगवानाराम पुत्र कुनणाराम जाति जाट निवासी बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू

.....अपीलान्ट

बनाम

1. लिछमणराम पुत्र जालूराम जाति जाट निवासी बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू
2. भागीरथराम पुत्र सोहनराम जाति जाट निवासी बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू
3. गोपालराम पुत्र सोहनराम जाति जाट निवासी बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू
4. रामचन्द्र पुत्र सोहनराम जाति जाट निवासी ग्राम बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू
5. भंवरी पत्नि कुनणाराम जाति जाट निवासी ग्राम बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू
6. मांगीलाल पुत्र कुनणाराम जाति जाट निवासी बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू
7. परमाराम पुत्र कुनणाराम जाति जाट निवासी ग्राम बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू
8. कमा पुत्री कुनणाराम जाति जाट निवासी ग्राम बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू
9. गोमा पुत्री कुनणाराम जाति जाट निवासी ग्राम बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू
10. ग्राम पंचायत दूंकर जरीये सरपंच दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू
11. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

.....रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 604 दिनांक 5.4.2018 ग्राम पंचायत दूंकर

उपस्थित :–

1. श्री मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते अपीलान्ट

–: निर्णय :–

दिनांकः–12.03.2021

अपील के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है :– कि रोही ग्राम बैनाथा जोगलिया में खेत खसरा संख्या 251 दौ सौ ईकावन तादादी 1.1255 एक दसमलव एक हजार दौ सौ पचपन हेक्टेयर, खसरा संख्या 371 तीन सौ इकहतर तादादी 15.0493 पन्द्रह दसमलव जीरो चार सौ तरेनवे हेक्टेयर भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 9 की संयुक्त खातेदारी की पुस्तेनी भूमि स्थित है। खातेदार भूरी व कमली का स्वर्गवास होने के बाद अपीलान्ट ने भूरी व कमली का मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिसनामा हल्का पटवारी दूंकर को विरास्तन नामान्तरण करने बाबत दिया। नियमानुसार भूरी के हिस्से की भूमि का तीन भाग होना था क्योंकि भूरी के तीन पुत्र लिछमणराम, कुनणाराम, सोहनराम थे। अर्थात् भूरी के हिस्से की भूमि का एक भाग लिछमणराम, एक भाग कुनणाराम के वारिसों के नाम व एक भाग सोहनराम के वारिसों के नाम दर्ज होना था लेकिन पटवारी हल्का दूंकर की गलती से भूरी की सम्पूर्ण हिस्सा भूमि केवल सोहनराम के वारिसों के नाम दर्ज हो गई। पटवारी हल्का दूंकर ने नामान्तरण संख्या 604 में भूरी का सम्पूर्ण हिस्सा सोहनराम के वारिसों के नाम दर्ज कर दिया। जबकि पटवारी हल्का दूंकर को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। संबधित भू अभिलेख दूंकर ने भी अपनी रिपोर्ट में गलत टिप्पणी अंकित कर दी। उसके बाद पटवारी हल्का दूंकर द्वारा उक्त नामान्तरण संख्या 604 रेस्पोडेन्ट

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

संख्या 10 ग्राम पंचायत दूंकर में पेश किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 10 ग्राम पंचायत दूंकर ने भी नामान्तरण संख्या 604 का भलीभांति अध्ययन नहीं कर पटवारी द्वारा पेश नामान्तरण को जैसा पेशा किया वैसा स्वीकृत कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 10 ग्राम पंचायत दूंकर ने अपीलान्ट को भी सुनवाई का मौका नहीं दिया। पटवारी हल्का दूंकर ने उक्त नामान्तरण संख्या 604 उपरोक्त वंशवृक्ष के अनुसार नहीं भरा है जो निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 10 का कृत्य ये था कि नामान्तरण संख्या 604 को स्वीकृत करने से पूर्व अपीलान्ट व अन्य रेस्पोडेन्टस को सुनवाई का अवसर देना था मगर रेस्पोडेन्ट संख्या 10 ने बिना सुनवाई का अवसर दिये ही नामान्तरण संख्या 604 को स्वीकृत कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 10 द्वारा नामान्तरण संख्या 604 को स्वीकृत करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देना था तथा साक्ष्य पेश करने का अवसर देना था। रेस्पोडेन्ट संख्या 10 ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया और ना ही कोई साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 10 ने रेस्पोडेन्टस संख्या 2 ता 4 से मिलकर नामान्तरण संख्या 604 को अपीलान्ट के पिठ पिछे स्वीकृत किया। जिससे अपीलान्ट को सारवान हानी उठानी पडेगी। ओर अपने कानुनी अधिकारों से वंचित हो गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 10 ने अपने कर्तव्य पालन में घोर लापरवाही बरती है। उक्त नामान्तकरण से अपीलान्ट अपनी पुस्तेनी खातेदारी भूमि से महरूम हो गया है जिससे अपीलान्ट का हित पूर्णतया प्रभावित हुआ है। अपीलान्ट ने अपनी कृषि भूमि पर बैंक से केसीसी बनाने हेतु जब दिनांक 5.1.2021 को जमाबंदी निकलवाई तब अपीलान्ट को अपने हिस्से की भूमि कम होना प्रतीत हुई तो पटवारी हल्का दूंकर के पास जाकर पुछताछ की तब पटवारी हल्का दूंकर ने बताया कि नामान्तरण संख्या 604 में आपको भूमि मिली नहीं है इस कारण आपके हिस्से में भूमि कम आ रही है। तो पटवारी हल्का ने विरास्तन नामान्तरण संख्या 604 की प्रमाणित प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध कर बताया कि भूलवंश भूरी के हिस्से की सम्पूर्ण भूमि केवल सोहनराम के वारिसों को के नाम दर्ज हो गई। तथा पटवारी हल्का दूंकर ने हिस्सा भूमि सही करने से मना कर दिया। अपीलान्ट को सर्वप्रथम नामान्तरण संख्या 604 के स्वीकृत होने की जानकारी दिनांक 5.1.2021 को नामान्तरण की नकल से प्राप्त हुई। इससे पहले अपीलान्ट को नामान्तरण संख्या 604 के गलत रूप से स्वीकृत होने की जानकारी नहीं थी। अपीलान्ट ने श्रीमानजी के समक्ष अलग से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पेश कर छुट प्राप्त करके यह अपील श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। जिसे अवधि भीतर मानकर सुनवाई की जावे। इस प्रकार अपील अपीलान्ट अवधि भीतर प्रस्तुत है। अपीलाधीन आदेश ग्राम पंचायत दूंकर द्धारा पारित किया गया है जिसके बाबत अपील सुनने का श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। अपील उचित न्यायशुल्क पर अवधि भीतर प्रस्तुत है। अन्य तथ्य वर वक्त बहस अर्ज किये जावेगें। आदि–आदि अंकित कर अपील पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरीये समन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 9 ने जरीये अधिवक्ता उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पोडेन्टस संख्या 10 ता 11 बावजुद तामिल अनुपस्थित। इस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 10 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा रेस्पोडेन्टस संख्या 11 पेरोकार राज का जवाब बंद किया गया। अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में नामान्तरकरण संख्या 604 दिनांक 5.4.2018 रोही ग्राम बैनाथा जोगलिया की प्रमाणित प्रति पेश की है।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट का कथन है कि वादगत भूमि अपीलान्ट की पुस्तेनी भूमि है जिसका विरास्तन नामान्तरण अपील के पेरा संख्या 2 में दर्शाये गये वंशवृक्ष के अनुसार होना था लेकिन वंशवृक्ष के अनुसार नहीं हुआ। वकील अपीलान्ट का कथन है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 10 ने नामान्तरण संख्या 604 को स्वीकृत करने से पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर नहीं दिया और ना ही नामान्तरण को स्वीकृत करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की। रेस्पोडेन्ट संख्या 10 ने अपनी मनमर्जी से नामान्तरण को स्वीकृत किया है। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 10 का कर्तव्य है कि नामान्तरण संख्या 604 को स्वीकृत करने से पूर्व प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करे। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 10 ने ऐसा नहीं किया ओर रेस्पोडेन्ट संख्या 10 ने अपने कर्तव्य में घोर लापरवाही बरती है। रेस्पोडेन्ट संख्या 10 ने नामान्तरण संख्या 604 को स्वीकृत करने से पूर्व वादगत भूमि पर अपीलान्ट के कब्जा काश्त के बारे में भी जांच नहीं की।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। नामान्तरण संख्या 604 दिनांक 5.4.2018 का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की अपील के पेरा संख्या 2 में वर्णित वंशवृक्ष का भी अवलोकन किया गया। वंशवृक्ष के अवलोकन से प्रतीत होता है कि हल्का पटवारी ने जो नामान्तरण संख्या 604 भरा है वो वंशवृक्ष के अनुसार सही नहीं है। भू.अ.निरिक्षक दूंकर ने भी अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती है। क्योंकि भू.अ.निरिक्षक दूंकर ने भी उक्त नामान्तरण संख्या 604 का वंशवृक्ष से मिलान नहीं किया। अंत में रेस्पोडेन्ट संख्या 10 का कर्तव्य था कि वो पटवारी द्वारा पेश किये गये नामान्तरण की अच्छी तरह जांच पडताल करके प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर देकर फिर नामान्तरण को स्वीकृत करे। लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 10 ने भी अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरती है। रेस्पोडेन्ट संख्या 10 ने प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया है जो कानूनी रूप से उचित प्रतित नहीं होता है। क्योंकि प्राधिकृत अधिकारी को किसी प्रकार का निर्णय करने से पूर्व प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर देना चाहिये था। रेस्पोडेन्ट संख्या 10 ने नामान्तरण संख्या 604 को गलत रूप से स्वीकृत किया है जिससे अपीलान्ट के खातेदारी अधिकारों का हनन हुआ है ओर रेस्पोडेन्ट संख्या 10 द्वारा की गई कार्यवाही कानून सम्मत नहीं है। इस कारण जैर अपील आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त मतानुसार अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 604 दिनांक 5.4.2018 ग्राम पंचायत दूंकर निरस्त किये जोन योग्य है।

—: आदेश :—

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश दिनांक 5.4.2018 नामान्तरकरण संख्या 604 ग्राम पंचायत दूंकर को निरस्त किया जाकर अपील तहसीलदार बीदासर को इस निर्देष के साथ रिमाण्ड की जाती है कि वो विधिसमत कार्यवाही करें। खर्चा मुकदमा पक्षकार स्वंय वहन करें। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।
निर्णय आज दिनांक 12.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned by CamScanner